



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273156
CG-DL-E-05062026-273156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2720]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 2720]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

का.आ. 2814(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि केरल राज्य के वायनाड जिले में एन्हेच् 766 के कि.मी. 70/500 से कि.मी. 75/000 तक स्थित कल्पेट्टा बाईपास का पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन विन्यास में उन्नयन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पैषल् तहसीलदार एल्लू (जनरल), वायनाड को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

केरल राज्य के वायनाड जिले में ऍन्हेच् 766 के कि.मी. 70/500 से कि.मी. 75/000 तक स्थित कल्पेट्टा बाईपास तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: केरल			जिले का नाम: वायनाड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: व्यतिरि					
गांव का नाम: कालपेट्टा					
1	114/2	निजी	व्यावसायिक (सूखी ज़मीन)	0.01184 (हेक्टेयर)	0.01184
2	114/4	निजी	व्यावसायिक (सूखी ज़मीन)	0.04755 (हेक्टेयर)	0.04755
3	120/2	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.02977 (हेक्टेयर)	0.02977
4	14/1	निजी	व्यावसायिक (सूखी ज़मीन)	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
5	15/1	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
6	15/2	सरकारी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
7	15/4	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
8	15/5	सरकारी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
9	32/10	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
10	32/11	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
11	32/13	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
12	32/16	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.009 (हेक्टेयर)	0.009

13	32/3	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
14	32/4	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
15	32/5	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
16	34/1	सरकारी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
17	34/2	सरकारी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
18	35/13	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
19	35/22	सरकारी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
20	35/23	सरकारी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
21	35/7	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
22	47/6	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.00034 (हेक्टेयर)	0.00034
23	48/2	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
24	48/5	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
25	48/6	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
26	48/8	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.000449 (हेक्टेयर)	0.000449
27	49/1	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
28	49/11	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
29	49/13	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
30	49/17	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.004 (हेक्टेयर)	0.004

31	49/2	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
32	49/3	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
33	49/4	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
34	53/1	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.102 (हेक्टेयर)	0.102
35	53/3	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
36	53/5	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
37	54/1	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.092 (हेक्टेयर)	0.092
38	55/1	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
39	55/4	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
40	65/9	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.044 (हेक्टेयर)	0.044
41	66/4	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.251 (हेक्टेयर)	0.251
42	66/8	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
43	68/3	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
44	8/11	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.106 (हेक्टेयर)	0.106
45	8/22	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
46	8/8	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.043 (हेक्टेयर)	0.043
47	8/9	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
48	86/18	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.028 (हेक्टेयर)	0.028

49	86/2	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
50	86/21	निजी	आवासीय (सूखी ज़मीन)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
51	88/1	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
52	88/2	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.04281 (हेक्टेयर)	0.04281
53	88/23	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.00174 (हेक्टेयर)	0.00174
54	88/24	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
55	88/27	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
56	88/31	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
57	88/4	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.00418 (हेक्टेयर)	0.00418
58	88/6	निजी	गैर-कृषि (सूखी ज़मीन)	0.02461 (हेक्टेयर)	0.02461
Total					1.708289

[फा. सं. RW/TRI/OE/NH-766/2021-2022/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2026

S.O. 2814(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building upgradation to four lane with paved shoulder configuration of Kalpetta Bypass from Km 70/500 to Km 75/000 of NH 766 in the district of WAYANAD in the state of KERALA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Tehsildar LA (General), Wayanad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an

opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH766 in the stretch of land from Km. 70/500 to Km. 75/000 (Kalpetta Bypass) of the NH 766 in the district of WAYANAD in the state of KERALA

State: KERALA			District: WAYANAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vythiri					
Village: Kalpetta					
1	114/2	Private	Commercial (Dry)	0.01184 (Hectare)	0.01184
2	114/4	Private	Commercial (Dry)	0.04755 (Hectare)	0.04755
3	120/2	Private	Residential (Dry)	0.02977 (Hectare)	0.02977
4	14/1	Private	Commercial (Dry)	0.016 (Hectare)	0.016
5	15/1	Private	Residential (Dry)	0.073 (Hectare)	0.073
6	15/2	Government	Non Agriculture (Dry)	0.007 (Hectare)	0.007
7	15/4	Private	Residential (Dry)	0.07 (Hectare)	0.07
8	15/5	Government	Non Agriculture (Dry)	0.005 (Hectare)	0.005
9	32/10	Private	Residential (Dry)	0.014 (Hectare)	0.014
10	32/11	Private	Residential (Dry)	0.019 (Hectare)	0.019
11	32/13	Private	Residential (Dry)	0.018 (Hectare)	0.018
12	32/16	Private	Residential (Dry)	0.009 (Hectare)	0.009
13	32/3	Private	Residential (Dry)	0.015 (Hectare)	0.015
14	32/4	Private	Residential (Dry)	0.008 (Hectare)	0.008
15	32/5	Private	Residential (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
16	34/1	Government	Non Agriculture (Dry)	0.04 (Hectare)	0.04
17	34/2	Government	Non Agriculture (Dry)	0.011 (Hectare)	0.011
18	35/13	Private	Non Agriculture (Dry)	0.02 (Hectare)	0.02
19	35/22	Government	Non Agriculture (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
20	35/23	Government	Non Agriculture (Dry)	0.013 (Hectare)	0.013
21	35/7	Private	Non Agriculture (Dry)	0.021 (Hectare)	0.021
22	47/6	Private	Residential (Dry)	0.00034 (Hectare)	0.00034

23	48/2	Private	Residential (Dry)	0.005 (Hectare)	0.005
24	48/5	Private	Residential (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
25	48/6	Private	Residential (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
26	48/8	Private	Residential (Dry)	0.000449 (Hectare)	0.000449
27	49/1	Private	Non Agriculture (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
28	49/11	Private	Residential (Dry)	0.007 (Hectare)	0.007
29	49/13	Private	Residential (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
30	49/17	Private	Residential (Dry)	0.004 (Hectare)	0.004
31	49/2	Private	Non Agriculture (Dry)	0.031 (Hectare)	0.031
32	49/3	Private	Non Agriculture (Dry)	0.022 (Hectare)	0.022
33	49/4	Private	Residential (Dry)	0.001 (Hectare)	0.001
34	53/1	Private	Non Agriculture (Dry)	0.102 (Hectare)	0.102
35	53/3	Private	Non Agriculture (Dry)	0.007 (Hectare)	0.007
36	53/5	Private	Non Agriculture (Dry)	0.004 (Hectare)	0.004
37	54/1	Private	Non Agriculture (Dry)	0.092 (Hectare)	0.092
38	55/1	Private	Non Agriculture (Dry)	0.003 (Hectare)	0.003
39	55/4	Private	Non Agriculture (Dry)	0.053 (Hectare)	0.053
40	65/9	Private	Non Agriculture (Dry)	0.044 (Hectare)	0.044
41	66/4	Private	Non Agriculture (Dry)	0.251 (Hectare)	0.251
42	66/8	Private	Non Agriculture (Dry)	0.086 (Hectare)	0.086
43	68/3	Private	Non Agriculture (Dry)	0.089 (Hectare)	0.089
44	8/11	Private	Non Agriculture (Dry)	0.106 (Hectare)	0.106
45	8/22	Private	Non Agriculture (Dry)	0.03 (Hectare)	0.03
46	8/8	Private	Non Agriculture (Dry)	0.043 (Hectare)	0.043
47	8/9	Private	Non Agriculture (Dry)	0.03 (Hectare)	0.03
48	86/18	Private	Residential (Dry)	0.028 (Hectare)	0.028
49	86/2	Private	Residential (Dry)	0.003 (Hectare)	0.003
50	86/21	Private	Residential (Dry)	0.005 (Hectare)	0.005
51	88/1	Private	Non Agriculture (Dry)	0.12 (Hectare)	0.12
52	88/2	Private	Non Agriculture (Dry)	0.04281 (Hectare)	0.04281

53	88/23	Private	Non Agriculture (Dry)	0.00174 (Hectare)	0.00174
54	88/24	Private	Non Agriculture (Dry)	0.003 (Hectare)	0.003
55	88/27	Private	Non Agriculture (Dry)	0.007 (Hectare)	0.007
56	88/31	Private	Non Agriculture (Dry)	0.004 (Hectare)	0.004
57	88/4	Private	Non Agriculture (Dry)	0.00418 (Hectare)	0.00418
58	88/6	Private	Non Agriculture (Dry)	0.02461 (Hectare)	0.02461
Total					1.708289

[F. No. RW/TRI/OE/NH-766/2021-2022/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director